

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली
इजलास
पीठासीन अधिकारी :-
प्रकरण संख्या:-07/2022

हेमराज गुर्जर, R.A.S.
दायर दिनांक:-11.01.2022

जीसीएमएस नं. 2022/14

विष्णुदयाल शर्मा उर्फ मनोज कुमार उम्र 37 साल जाति ब्राह्मण पुत्र भगवान सहाय
निवासी शेरपुर, तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

-----वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।
2. जिला कलक्टर करौली जिला करौली राज0।


-----प्रतिवादीगण-02

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

मुकदमा न0 07/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि जमाबंदी संवत 2071-74 खाता संख्या 384 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में नाबालिक विष्णुदयाल पुत्र भगवानसहाय संरक्षक सरपरस्त भगवानसहाय को शुद्ध किया जाकर मनोज कुमार दर्ज वादी के हक में दुरुस्त किया जाता है। इस संबंध में तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हों। वादीगण का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्वीकार किया जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.11.2024 को यह डिकी जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

